न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

संख्या :– 175/2006 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

:– 1. दयाराम पुत्र मंगल जाति गूजर

2. वीरेन्द्र पुत्र मंगल जाति गूजर

3. धोली देवी बेवाह रणजीत पुत्र मंगल

4. सुवालाल पुत्र रणजीत अवयस्क

5. सेवकरण पुत्र रणजीत अवयस्क

6. लालीबाई पुत्री रणजीत अवयस्क जरिये सरपरस्त व वाद मित्र मु0 धोली देवी माताखुद जाति गूजर

7. प्रहलाद पुत्र छोटेलाल जाति गूजर

8. मंगल पुत्र छोटेलाल जाति गूजर निवासीयान ग्राम काली पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर (राजस्थान)

:––– प्रतिवादी अपीलांटस

बनाम

1. मूर्ति मंदिर श्री शिवजी महाराज उर्फ श्री महादेव जी महाराज विराजमान तालाब के पास, कस्बा तहसील बहरोड जिला अलवर नाबालिग जरिये सरपरस्त पुजारी रामस्वरूप पुत्र उदमी पुत्र सम्मन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

नाथ जाति जोगी निवासी नीमराना तह0 बहरोड जिला अलवर ।

:— वादी असल रेस्पो0

2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
3. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको लि0, जयपुर
4. क्षेत्रिय प्रबन्धक, रीको लि0 शाहजहांपुर जिला अलवर ।

:—— प्रतिवादी तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 27.10.2006

निर्णय दिनांक 15.2.2017

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 129/2005 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2006 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा उक्त प्रा0 पत्र स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की है, जिसकी व्यवस्था भैरूनाथ और उनके पश्चात सम्मननाथ करते थे । सम्मननाथ के पश्चात रामस्वरूप करते आ रहे हैं । विवादित भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ला0 8 का कोई सम्बन्ध नहीं है । बंदोबस्त सम्वत 2020 में कॉलम नम्बर 03 में माफी मंदिर श्री शिवजी महाराज विराजमान नीमराना व एहतमाम पुजारी उदमी पुत्र सम्मनराम कौम जोगी माफीदार नीमराना अंकित है तथा कॉलम नम्बर 05 में श्योनारायण पुत्र मंगतूराम कौम गूजर सालिम काली पहाडी मु0 5 साल खातेदार अंकित कर दिया गया, जबकि उक्त श्योनारायण का आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत तौर पर कॉलम नम्बर 05 उक्त श्योनारायण का नाम दर्ज कर दिया गया । इसके बाद बय इन्तकाल संख्या 72 व 75

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

के आधार पर जमाबन्दी सम्वत 2024 में छोटेलाल का नाम गलत दर्ज कर दिया गया । उपरोक्त गलत इन्द्राज की आड में अप्रार्थीगण मूर्ति मंदिर की भूमि में मजाहमत करते हैं । अतः उन्हें पाबन्द फरमाया जावे कि वो मूर्ति मंदिर की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा रीको द्वारा विवादित भूमि अवाप्त किये जाने की स्थिति में किसी प्रकार का मुआवजा नहीं उठाये । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. अपीलांट ने अपील मीमों में निवेदन किया है कि वादी प्रार्थी की ओर से ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि रीयासत स्टेट द्वारा मूर्ति मंदिर के भोग खर्च के लिये दी गई हो । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सम्वत 2012 लागू होने के दिन अथवा इसके पश्चात विवादित भूमि पर मूर्ति मंदिर का कब्जा नहीं रहा है । उक्त अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं लागू होने के दिन विवादित भूमि पर हमारे बुजुर्गान और उनके बाद हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है । इसलिये हम बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार हो गये । हम विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं । कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ टी0 आई0 जारी नहीं की जा सकती । विवादित भूमि रीको द्वारा अवाप्त कर ली गई है और मुआवजा राशि भी जमा हो चुकी है तथा मौके पर सडक का निर्माण भी किया जा चुका है । इस प्रकार अब इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. विद्वान वकील असल रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की ही थी, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2020 में गलत तौर पर श्योनारायण पुत्र मंगतू के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई और उसने साजिशी तौर पर इसका बेचान छोटेलाल को कर दिया गया । अप्रार्थीगण का इस आराजी से कोई लेना देना नहीं है । बंदोबस्त विभाग को राजस्व रेकार्ड को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है, उसे केवल पुराने इन्इद्राजात को दोहराने का ही अधिकार है । अब विवादित भूमि रीको द्वारा अवाप्त की जा चुकी है । गलत इन्द्राज की आड में अपीलांटस अप्रार्थीगण मुआवजा उठाने की फिराक में है । तहत न्यायालय ने सही तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने बहस भूमि अधिकारी, रीको लि0 द्वारा माननीय सिविल जज (वरिष्ठ खण्ड), अलवर को लिखे पत्र कमांकः प (6) भू0अ0अ0/2005 दिनांक जनवरी, 2009 की फोटो प्रति पेश की गई है, जिसमें रीको द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में मुआवजा राशि भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 18 एवं 31 (2) के अन्तर्गत यह निवेदन करते हुये जमा कराई गई है कि अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां एक वाद उनवानी दयाराम वगैरह बनाम मूर्ति मंदिर श्री

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

शिवजी महाराज वगैरह के नाम से विचाराधीन है । अतः उक्त वाद के कारण उक्त मुआवजा राशि को विवादित मानते हुये इसका भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 1 ला0 5 को नहीं किया गया है । पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि की बाबत टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना है । हम यहां धारा 212 आर0 टी0 के प्रा0 पत्र का निस्तारण कर रहे हैं ।

6. चूंकि विवादित भूमि शीको द्वारा अवाप्त हो चुकी है तथा मुआवजा राशि भी सक्षम न्यायालय में जमा हो चुकी है तथा पक्षकारों के बीच टाईटल का निर्णय मूल वाद में तय होना अभी शेष है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.2006 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner